ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ, विकास खण्ड नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति आशा रानी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति सरोज शर्मा	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपिन कुमार	2008 से 23-11-16
2.	श्री वेद प्रकाश	24-11-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	0 .41
2.	6	पंचायत राजस्व की वसूली का शेष पाया जाना	0.19
3.	7	अनुदानों का अधिक व्यय करना।	0.44

4.	8	अनुदानों का उपयोग न करना ।	14.59
5.	9	बिना औपचारिकताओं के खरीद बारे।	5.06
6.	10	निर्माण सामग्री का स्टॉक इन्द्राज न करना।	7.59
7.	11	अधिक भुगतान बारे।	0.09

भाम- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 16-08-2017 से 19-08-17 तक के दौरान पंचायत कार्यालय धनेटी गारलाँ में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01/15, 02/16 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 02/15,12/15,02/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹4000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 181 दिनांक 19-08-17 द्वारा सचिव, पंचायत धनेटी गारलाँ से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/14 से 3/17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ के अवधि1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014 -15	7431	26806	34237	33718	519
2015 -16	519	55753	56272	26583	29689
2016 -17	29689	77086	106775	37612	69163

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	69599	1321454	1391053	1035386	355667
2014-15	355667	1851070	2206737	1544800	661937
2015-16	661937	2963191	3625128	2165671	1459457

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB Ganoh	20031004523	1444646
2.	----do------	50055716799	97333
3.	----do------	50055716722	4538
4.	----do------	50055716507	1537
5.	----do------	50055716574	11442
6.	----do-----	50055716405	1318
7.	----do-----	50055716675	7993
8.	PNB Ganoh	3027000100061336	388
9.	----do-----	30227000100061327	nill
		कुल जोड़	**1569195**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1569195

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क-ख):- ₹ 1528600

अन्तर :- ₹ 40595

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण₹0.41 लाख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था।वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में **₹40595** का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 **पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 को **परिशिष्ट-4** के अनुसार पंचायत के राजस्व ₹18970 की वसूली शेष थी ।

गृहकर :-

वर्ष	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	23715	17010	40725	2780	37945
2015 -16	37945	17550	55495	40245	15250
2016 -17	15250	17550	32800	13830	18970

जाँच में पाया गया कि गत तीन साल से पंचायत द्वारा ग्रह कर की वसूली नही की गई है। जोकि एक गम्भीर मामला है। अत: ग्रह कर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ग्रह कर की वसूली नियमित रूप से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 **प्राप्त अनुदानों से ₹ 0.44 लाख का अधिक व्यय करने बारे :-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान 3rd state,ZP,SDP,SBM-G के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹15287, ₹15323, ₹1459, ₹12000, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹44069** अधिक खर्च किए गए। जो कि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹ 14.59 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1459457** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ को अवगत करवाया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 5.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹505543** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ को अवगत करवाया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **क्रय की गई ₹7.59 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर **₹759070** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है । जो की एक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत धनेटी गारलाँ को अवगत करवाया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली उत्तरदायी से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

11 **अधिक भुगतान की गई ₹0.09 लाख बारे** :-

वा.सं 65(i)(ii)माह 03/17 रोकड़ बही पृष्ट 74 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹52260 का भुगतान 616 किलोग्राम क्रैट वायर खरीदने हेतु भुगतान किए गए है जबकि बिल केवल ₹43054 के प्रस्तुत किए गए है इस प्रकार ₹9206 का अधिक भुगतान किया गया है अत: अधिक भुगतान की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उत्तरदायी से अधिक भुगतान की गई राशि को वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 **रोकड़ बही को माह के अन्त में प्रधान द्वारा अधिप्रमाणित न करने बारे :-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम7(1) के अनुसार सचिव द्वारा तैयार रोकड़ बहियों को माह के अन्त में प्रधान द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा परन्तु अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को प्रधान द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया था जिसके आभाव में इस अवधि में आय व व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए इन रोकड़ बहियों को

सम्बन्धित प्रधान द्वारा अधिप्रमाणित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत धनेटी गारलां को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

16 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

17 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)128/2017 खण्ड–1–789–792 दिनांक01.02.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत धनेटी गारलां, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881